

FROM No.III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

24/11/19 कलकत्ता एवं SDO, मुकाम बायतु

कुमला देवी बनाम चैतन्यराय कर्मा

म मुकदमा नं. 111/128 KLRAC नं. 61/20 सन् 2020

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17/03/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>नरयण कुमार</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111/128 KLRAC</u> राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>12/05/2020</u> को पेश हो।	
12/05/2020	पत्रावली पेश हुई। वक्तुलाय सहायक कलक्टर (SDO) बायतु को नोटिस जारी किया गया। दिनांक <u>26/10/2020</u> पेश हुई।	सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
26/10/2020	पत्रावली पेश हुई। वक्तुलाय सहायक कलक्टर (SDO) बायतु को नोटिस जारी किया गया। दिनांक <u>05/11/2021</u> पेश हुई।	
05/11/2021	पत्रावली पेश हुई। वक्तुलाय सहायक कलक्टर (SDO) बायतु को नोटिस जारी किया गया। दिनांक <u>29/04/2021</u> का पेश हुई।	
20/04/2021	पत्रावली पेश हुई। वक्तुलाय सहायक कलक्टर (SDO) बायतु को नोटिस जारी किया गया। दिनांक <u>04/08/2021</u> पेश हुई।	

04/08/2021

दिनांक 30/11/2021

डॉ. प्रेम दा/१

अज अदालत उपखण्ड
डकम काय
डकम
104/2022
तामिल प्राथम
अनुप

30/11/2021

प्राथमिक वहील उपलब्ध। विद्यार्थीगणों के नोटिस तामिल प्रिडम तामिल प्रिडम/सीमान्त पी/सी/सीन प्रिडम/प्रशासन गौवों के संग मिसिमान-2021 डेवों में व्यक्त होने के मिशाल इलाका टांडर प्रशासन दिनांक-21/04/2022 डॉ. प्रेम दा/१

21/04/2022

प्राथमिक वहील उपलब्ध। विद्यार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिफे रजिस्टर्ड एडी मिजवाफे गमे जिनरी डिप्लेक्ट रसिदे प्राथमिक प्रिडम/इलाका प्रेश की गई जिसे शामिल प्रशासकी प्रिडम गण। विद्यार्थीगण वाकजुस तामिल प्रिडम प्रिडम/प्रशासन प्रमम लीन वाट प्रिडम लगाई गई, प्रिडम प्रिडम 5.45 प्रिडम लगाई गई, विद्यार्थीगण रवम प्रे उनही प्रिडम के प्रिडम प्रिडम उपलब्ध नहीं हुआ लिटाजा विद्यार्थीगणों के विरुद्ध एडल्टरफा डार्प्रवाही प्रिडम में लाई जाली है प्रिडम; प्रिडम प्रिडम प्रिडम दिनांक-28/04/2022 डॉ. प्रेम दा/१

डॉ. प्रेम दा/१
अ. प्रेम दा/१
(SDO) बायतु

हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज

न व तारीख अहकाम
जो इस हुक्म की
तामिल में जारी हुए

8/04/22

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।

सहायक क्लर्क
(SDO) बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्र. वाद/2022/523
प्रार्थी

बनाम

दिनांक : 28/04/2022
विप्रार्थीगण

1. कमला देवी पत्नी पीराराम वगैरा 02,
जाति जाट, निवासी लापला,
पटवार मण्डल कोसरिया,
तहसील बायतु (बाडमेर)

1. चेतनराम पुत्र गुमनाराम वगैरा 06,
जाति जाट, निवासी लापला,
पटवार मण्डल कोसरिया,
तहसील बायतु (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 61/2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - लापला, पटवार मण्डल - कोसरिया, तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 851/551 रकबा 3.8832 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्र. वाद/2022/524-528

प्रतिलिपि जिनकी सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री कमला देवी पत्नी पीराराम वगैरा 02,
4. विप्रार्थी श्री चेतनराम पुत्र गुमनाराम वगैरा 06,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 28/04/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर
(SDO) बायतु